REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233564 CG-DL-E-17022022-233564

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2022/माघ 28, 1943
No. 727]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2022/MAGHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 754(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, का.आ. सं. 1533(अ) तारीख 15 सितंबर, 2006 के अनुसरण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 2276(अ) तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

अधिसूचना में,--

- (i) पैरा 4 में 'राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-1 (एसईएसी-1)' शब्दों के स्थान पर 'यथास्थिति, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-1 (एसईएसी-1) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 (एसईएसी-2)' शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) पैरा 5 में, शीषर्क एसईएसी-1, उत्तर प्रदेश की सारणी में क्रम सं. 1 में स्तंभ (2) 'राजीव' शब्द के स्थान पर 'हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है'।

[फा.सं.-जे-11013/43/07-आईए. II (I)(पार्ट.)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 2276(अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment to amend the notification of the Government of India, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2276(E) dated 11th June 2021, namely:-

In the notification -

- (i) In paragraph 4 for the words 'State level Expert Appraisal Committee-1 (SEAC-1)' with the words 'State level Expert Appraisal Committee-1 (SEAC-1) or State level Expert Appraisal Committee-2 (SEAC-2), as the case may be', shall be substituted,
- (ii) In paragraph 5, under heading SEAC-1, Uttar Pradesh, in the table, in Sl.No. 1, in column (2), for the word '*Rajiv*' the word '*Rajive*' shall be substituted.

[F. No. J-11013/43/07-IA.II(I)(Pt.)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy,

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2276(E) dated 11th June 2021

REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227526 CG-DL-E-11062021-227526

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943 No. 2116] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का. आ. 2276(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) के अनुसरण में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3338 (अ) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के रूप में उल्लिखित किया गया है।) का निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठन करती है, अर्थात् :

1	2	3
1.	डॉ. राजीव कुमार गर्ग,	अध्यक्ष;
	17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ	
2.	श्री पारसनाथ,	सदस्य;
	हाउस न. 2/386	
	वीनामरखंड, गोमती नगर, लखनऊ	
3.	सदस्य सचिव	सदस्य सचिव
	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

 प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

3. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी ।) की सिफ़ारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा दो राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों अर्थात राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-1 और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के रूप में उल्लिखित किया गया है।) का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:

एसईएसी- । उत्तर प्रदेश

1	2	3
1.	श्री राजीव कुमार,	अध्यक्ष ;
	रघुसत्यम	
	बी-2/4 विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010	
2.	डॉ. अजय मिश्रा,	सदस्य ;
	जियोलॉजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,	
	लखनऊ-226007	
3.	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव,	सदस्य ;
	एच-150, साउथ सिटी, पीजीआई रोड,	
	लखनऊ-226025	
4.	डॉ. बृज बिहारी अवस्थी	सदस्य ;
	फ्लैट न. 503, टावर-एम, रोहतास प्लूमेरिया अपार्टमेंट,	
	विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010	
5.	श्री उमेशचंद शर्मा,	सदस्य ;
	88 ए, मानस नगर, शाहगंज, आगरा-282010	
6.	डॉ. रत्नाकर	सदस्य ;
	बीरबल साहनी इंस्टीच्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज,	
	53, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ-226007	
7.	निदेशक,	सदस्य सचिव ;
	पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	

एसईएसी -2, उत्तर प्रदेश

1	2	3
1.	डॉ. हरिकेश बहादुर सिंह,	अध्यक्ष ;
	13/21 विकास नगर, पोस्ट ऑफिस विकास नगर, लखनऊ- 226022	
2.	डॉ. अमृत लाल हलधर,	सदस्य ;
	7/554 ए विकास नगर (सीआईएमएपी कॉलोनी के सामने),	
	नार्दन गेट, लखनऊ 226022	

2

3.	डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सिंह,	सदस्य ;
	फ्लैट न. बी-0701 गोदरेज सम्मिट, सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे, हरियाणा-	
	122006	
4.	श्री तंज़र उल्लाह खान	सदस्य ;
	बी- 904, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, सेक्टर-52, नोएडा, उत्तर प्रदेश	
5.	प्रो. जसवंत सिंह,	सदस्य ;
	पर्यावरण विज्ञान विभाग, विभागाध्क,	
	डॉ राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या, 224001	
6.	डॉ. शिवओम सिंह,	सदस्य ;
	8, उर्मिला विहार, कंपू लश्कर, ग्वालियर, 474001 मध्य प्रदेश	
7.	निदेशक पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य सचिव ;

6. एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

 एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

8. एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

- 9. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए :
 - (क) प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।
 - (ख) प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगें, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना है; और
 - (ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की है या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया हैं, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय उनके सभी सांविधिक कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा ।

11. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013-43/2007.आईए-II(I) पार्ट-I]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021.

S.O. 2276(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14^{th} September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3338(E), dated the 16^{th} October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the State Government of Uttar Pradesh, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) (hereinafter referred to as the Authority, Uttar Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Rajiv Kumar Garg	Chairman;
	17, Rana Pratap Marg, Lucknow	
2.	Shri Parasnath	Member;
	House No. 2/386	
	Vinamrakhand Gomti Nagar, Lucknow	
3.	Member Secretary	Member Secretary.
	Uttar Pradesh Pollution Control Board	

2. The Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Uttar Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Uttar Pradesh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee -1(SEAC-1) constituted under paragraph 5 for the State of Uttar Pradesh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Uttar Pradesh, the Central Government in consultation with the State Government of Uttar Pradesh, hereby constitutes two State Level Expert Appraisal Committees, that is, the State Level Expert Appraisal Committee-1 and State Level Expert Appraisal Committee-2 (hereinafter referred to as the SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

SEAC-1, Uttar Pradesh:

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Rajiv Kumar	Chairman;
	Raghusatyam	
	B-2/4 Vijyantkhand Gomti Magar	
	Lucknow-226010	
2.	Dr. Ajai Mishra	Member;
	Department of Geology, Lucknow University	
	Lucknow-226007	
3.	Mr Om Prakash Srivastava	Member;
	H-150, Southcity PGI Road, Lucknow- 226025	

4.	Dr. Brij Bihari Awasthi	Member;
	Flat No. 503, Tower-M, Rohtash Plumeriya Apartment, Vibhuti	
	Khand, Gomti Nagar,	
	Lucknow- 226010	
5.	Shri Umesh Chand Sharma	Member;
	88A, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010	
6.	Dr. Ratankar	Member;
	Birbal Sahni Institute of Palaeosciences,	
	53, University Road, Lucknow-226007	
7.	Director,	Member Secretary.
	Environment Department. Govt. of UP	

SEAC-2, Uttar Pradesh:

(1)	(2)	(3)
1.	Dr Harikesh Bahadur Singh	Chairman;
	13/21, Vikas Nagar, PO Vikas Nagar, Lucknow-226022	
2.	Dr. Amrit Lal Haldar	Member;
	7/554A, Vikas Nagar (Opp CIMAP Colony), Northern Gate, Lucknow-226022	
3.	Dr. Dineshwar Prasad Singh	Member;
	Flat No. B0701, Godrej Summit, Sector-104, Dwaraka Expressway, Haryana-122006	
4.	Shri Tanzar Ullah Khan	Member;
	B-904 Antrarish Apartment, Sec-52, Noida, U.P.	
5.	Prof. Jaswant Singh	Member;
	Head of Environment Science Department, Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Ayodhya- 224001	
6.	Dr. Shiv Om Singh, 8, Urmilla Vihar, Kampoo, Lashkar, Gwaliar- 474001	Member;
	Madhya Pradesh	
7.	Director,	Member Secretary.
	Environment Department. Govt. of UP	

6. The Chairman and Members of the SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

- 9. In order to avoid any conflict of interest -
 - (a) the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
 - (b) the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh during their tenure; and
 - (c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. Government of Uttar Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Uttar Pradesh.

[F. No. J.11013-43/2007-IA.II(I) Pt.I] Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.